विविध बैंक प्रकरण संख्या 144/2019(GCMS : 2019/00258) आन्ध्रा बैंक, शाखा जवाहर नगर, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स पुष्य एग्रो फूड 2. के./ऑफ श्रीमती संतोष रानी जागा पता 130—131, उद्योग विहार रीको, श्रीगंगानगर (राज.)—335001 3. नवीन कुमार अरोड़ा 4. रमेश कुमार जागा, पता 3—जी—7, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (राज.)—335001

22.08.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री जलविन्द्र सिंह भंगू उपस्थित नहीं हुए। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी आन्ध्रा बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स पुष्य एग्रो फूड, संतोष रानी, नवीन कुमार अरोड़ा एवं रमेश कुमार जागा द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मैसर्स नवीन ऑयल एवं जिनिंग फैक्ट्री के मालिक साझेदार रमेश कुमार जग्गा एवं नवीन कुमार जग्गा की सम्पत्ति भूमि एवं भवन चार ग्रामीण गोदाम और एक ऑयल मील, प्लाट नं. ई—130 एवं 131, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, रीको, फेज—प्रथम (क्षेत्रफल 8000 वर्ग मीटर का विस्तार) श्रीगंगानगर — 335001 का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वितिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2019 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि प्रार्थी बैंक ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि विचाराधीन प्रकरण को विड्रा करना चाहता है, क्योंकि बैंक द्वारा इस कार्यालय में नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, उक्त प्रस्तुत परिवाद नं. विविध बैंक प्रकरण सख्या 27/2021 में आदेश हो गये है इसलिए इस प्रकरण को इसी स्टेट पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाये। इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक ने पेश किया हुआ है, जो शामिल पत्रावली है। अतः इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.25 17:10:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व में आन्धा बैंक) द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व में आन्धा बैंक) को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखि़ल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखि़ल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट,
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.25 17:10:33 IST
Reason: SelfAttested